



70

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल, ग्वालियर

निग-1455 I 16

1. श्रीमति सरोज साहू पति डॉ. के.के. साहू
निवासी शंकराचार्य वार्ड कन्देली नरसिंहपुर तहसील व जिला नरसिंहपुर
2. रेवा शंकर सोनी आ. श्री मूलचंद सोनी
निवासी गांधीवार्ड, कन्देली नरसिंहपुर तहसील व जिला नरसिंहपुर

.....आवेदकगण

बनाम

1. प्रशान्त कुमार पाठक आ. श्री पी.पी. पाठक
2. पंकज कुमार पाठक आ. श्री पी.पी. पाठक
दोनों निवासी जबलपुर, मन्ना डेयरी के पीछे,
स्ट्रीट 213 नं., जबलपुर 2, नर-जिला - जबलपुर 2

.....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 एवं धारा 129 म.प्र.भू.रा.सं.59

आवेदकगण वर्तमान निगरानी नाप प्रकरण क्रमांक 3अ/12 सन् 2015 मौजा नकटुआ नं.बं. 270 प.ह.नं.43 तहसील जिला नरसिंहपुर न्यायालय श्रीमान तहसीलदार नरसिंहपुर द्वारा जारी नाम कमीशन से सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख नरसिंहपुर द्वारा बिना सूचना के किए गए नाम दिनांक 28.06.2015 प्रतिवेदन दिनांक 21.08.2015 आदेश दिनांक 30.11.2015 जिसकी जानकारी दिनांक 18.03.2016 में लगते ही नकल आवेदन दिनांक 18.03.2016 में प्राप्त होते ही अन्य अनेक आधारों पर प्रस्तुत है।

तथ्य

1. यह कि मौजा नकटुआ नं.बं. 270 प.ह.नं.43 तहसील व जिला नरसिंहपुर में स्थित ख.नं. 34/2, 112/3, 34/4, 112/4, 34/6, 112/6 कुल रकवा 4.473 हे. का नाम आवेदन पत्र अनावेदक गण द्वारा सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख नरसिंहपुर के समक्ष लगाया गया रहा है एवं सहायक अधीक्षक

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1455-एक/2016 जिला-नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाकों आदि के हस्ताक्षर
14-2-19	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख नरसिंहपुर के प्रकरण क्रमांक 3/अ-12/2015 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2015 के विरुद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:-</p> <p>धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन-</p> <p>(ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा।</p> <p>3-परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर के न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों।</p> <p>पेशी दिनांक 15/4/19</p> <p><u>अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर</u></p>	